भारतीय सर्वेक्षण विभाग

**SURVEY OF INDIA**

BY Regd A/D


निदेशक का कार्यालय,
म0प्र0भू–स्था0ऑकडा केन्द्र
सर्वे कालोनी, विजय नगर,
जबलपुर (म0प्र0)–482002

Office of the Director
M.P. Geo Spatial Data Cenrtre
Survey Colony, Vijay Nagar,
Jabalpur(M.P.)-482002


सं.प्रशा0– 112 /5–ए–1388 दिनांक :– 01 – 02 –2017.

# आदेश

यह आदेश, श्री सुजीत कुमार मरावी, आत्मज स्व. श्री एम.पी.मरावी, खलासी, जो दिनांक 29.11.2011 से लगातार पॉच वर्ष से अधिक की अवधि से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है, का केन्द्रीय सिविल सर्विस (अवकाश) नियम 1972 के नियम 12 एवं अधिसूचना दिनांक 29.03.12 के अंतर्गत शासकीय सेवा से दिनांक 02.01.17 से त्याग पत्र माने जाने के लिए (Deemed to be have resigned) जारी किया जाता है।

श्री सुजीत कुमार मरावी, खलासी को इस विभाग में दिनांक 21.11.1995 को कंटीजेंट खलासी के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् उन्हें दिनांक 01.06.1999 से नियमित खलासी के पद पर नियुक्त किया गया।

श्री सुजीत कुमार मरावी का सेवा रिकार्ड का निरीक्षण करने पर यह तथ्य सामने आया है कि वह दिनांक 21.11.1995 से 31.12.16 तक 17 वर्ष 07 माह की सेवा अवधि के दौरान लगभग 11 वर्ष 04 माह विभिन्न प्रकार के अवकाश पर रहे हैं, जिसमें से 11 वर्ष वह असामान्य अवकाश (E.O.L.) पर रहे हैं। इस प्रकार 17 वर्ष 07 माह की कुल अवधि में वह कार्यालय में केवल 06 वर्ष 02 माह (लगभग) ही उपस्थित रहे हैं।

उपरोक्त कर्मचारी अपने सम्पूर्ण सेवा काल में, बिना किसी सूचना के, कार्यालय से हमेशा अनुपस्थित होता रहा है। इस दौरान उन्हें कार्यालय द्वारा निरन्तर पत्र भेजे जाते रहे हैं एवं अनाधिकृत रूप से रहने के दौरान इसकी जानकारी (Whereabouts) के संबंध में तीन बार थाना प्रभारी गोरखपुर तथा दो बार पुलिस अधीक्षक जबलपुर को भी पत्र भेजे गये हैं। इनके बार–बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 90 दिनांक 17.10.2007 के अंतर्गत स्थापना एवं लेखाधिकारी के नेतृत्व में तीन संदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारी के आचरण को अनुचित माना एवं कर्मचारी के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे एक और अवसर दिए जाने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात् भी कर्मचारी ने अपने आचरण में कोई सुधार प्रदर्शित नहीं किया और वह कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होते रहे। इस प्रकार कर्मचारी को अवसर दिए जाने के बावजूद भी उन्होने अपने आचरण में कोई भी सुधार प्रदर्शित नहीं किया।

वर्तमान प्रकरण में श्री सुजीत कुमार मरावी दिनांक 29.11.2011 से लगातार कार्यालय से अनाधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, इस दौरान कार्यालय द्वारा उनको कई पत्र भेजे गये, जिसका उनके द्वारा कोई भी जबाब नहीं दिया गया। कार्यालय द्वारा दिनांक

कृमशः पृष्ठ 2/–पर

01.12.2016 को अखबार में विज्ञापन दिया गया, उसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 02.01.17 को श्री सुजीत कुमार मरावी द्वारा ज्वाइनिंग लेने बावत् एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ उन्होने दिनांक 26.07.14 से दिनांक 01.01.17 तक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, लेकिन उन्होने अपने आवेदन में 29.11.2011 से 25.07.2014 तक की अनाधिकृत अनुपस्थिति बावत् कोई भी कारण नहीं बताया है। कर्मचारी द्वारा जो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं,उनकी भी पूर्व सूचना कार्यालय में नहीं दी गई है। दिनांक 26.07.14 से 08.08.16 तक के चिकित्सा प्रमाण पत्र पर जारी करने की दिनांक भी नहीं है एवं चिकित्सा प्रमाण पत्रों पर सरकारी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किये गये हैं।

श्री सुजीत कुमार द्वारा अपने आवेदन पत्र में दो वर्ष पूर्व दिनांक 29.09.14 को चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित होना बताया गया है, इस संबंध में कार्यालय में कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तथा उन्होने आवेदन पत्र के साथ जो चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं, उनमें उन्हें दिनांक 26.07.14 से लगातार बीमार बताया गया है। अतः उनका यह कथन कि वह दिनांक 29.09.14 को कार्यालय में उपस्थित हुए थे, स्वतः ही गलत हो जाता है।

श्री सुजीत कुमार मरावी, खलासी दिनांक 29.11.2011 से लगातार पॉच वर्षो से अधिक अवधि से अनाधिकृत रूप से एवं बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। उन्होने अपने आवेदन पत्र में जो कारण बतलाये हैं, वह भी गलत एवं संदिग्ध हैं। उनको पूर्व में आचरण सुधारने हेतु कई अवसर भी प्रदान किये जा चुके हैं।

अतः केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम–12 तथा भारत सरकार के पेंशन एवं कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.03.2012 के अनुसार एतद् द्वारा श्री सुजीत कुमार मरावी, खलासी को दिनांक 02.01.2017 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र माना जाता है। (Deemed to have resigned from Govt. Service w.e.f. 02-01-2017)

कृपया इस पत्र की एक प्रति हस्ताक्षर कर कार्यालय में प्रेषित करें।

(जी. वरूण कुमार)
निदेशक

प्रति,

श्री सुजीत कुमार मरावी आत्मज एम.पी.मरावी ------ दो प्रतियों में
परफैक्ट फैक्टरी के सामने,
लाल कुऑ, पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड
जबलपुर (म.प्र.)

**प्रतिलिपिः–**

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मध्य क्षेत्र, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, कोलकाता को सूचनार्थ।
4. स्थापना एवं लेखाधिकारी , एमपीजीडीसी को सूचनार्थ।
5. गोपनीय अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।